

**बिहार सरकार**  
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**

पत्रांक- वि०प्रा०(1)स्था०-02/2018-

/पटना, दिनांक-

**अधिसूचना**

बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याताओं को स्तम्भ-4 में उल्लिखित संस्थानों से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-5 उल्लिखित संस्थान एवं पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	नाम/गृह जिला	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापित पद एवं संस्थान का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री आनन्द मोहन खॉ, सहरसा	प्रभारी प्राचार्य	रा०पो०, मधेपुरा	संयुक्त सचिव, रा०प्रा०शि० पर्षद, पटना।
2.	श्री मदन यादव, मधेपुरा	प्रभारी प्राचार्य,	रा०पो०, सहरसा	अतिरिक्त प्रभार प्रभारी प्राचार्य, रा०पो०, मधेपुरा।
3.	श्री सुशील कुमार, समस्तीपुर	व्याख्याता (यांत्रिकी)	रा०पो०, किशनगंज	व्याख्याता (यांत्रिकी), रा०पो०, दरभंगा
4.	श्री राम भूषण प्रसाद सिंह, बेगूसराय	व्याख्याता (विद्युत)	रा०पो०, मुजफ्फरपुर	व्याख्याता (विद्युत), रा०पो०, समस्तीपुर।
5.	डा. मीनाक्षी, नवादा	व्याख्याता (रसायन)	रा०पो०, टेकारी गया	व्याख्याता (रसायन), रा०पो०, गया।
6.	श्री सुबोध कुमार मेहता, पटना	व्याख्याता (प्रवर कोटि) विद्युत	रा०पो०, मुजफ्फरपुर	प्रभारी प्राचार्य, रा०पो०, समस्तीपुर।
7.	श्री दिवाकर भगत, भागलपुर	व्याख्याता (असैनिक)	न०रा०पो०, पटना-13	व्याख्याता (असैनिक), रा०पो०, बक्सर।
8.	श्री ब्रजेश कुमार, भोजपुर	व्याख्याता (अंग्रेजी)	रा०पो०, मढ़ौरा (सारण)	व्याख्याता (अंग्रेजी), न० रा०पो०, पटना-13
9.	श्री रमेश कुमार सिंह, सारण	व्याख्याता (भौतिकी)	रा०पो०, कैमुर	परीक्षा नियंत्रक, रा०प्रा०शि०पर्षद, पटना।
10.	श्री प्रमोद कुमार, रोहतास	परीक्षा नियंत्रक	रा०प्रा०शि०पर्षद, पटना।	सहायक सचिव, रा०प्रा०शि०पर्षद, पटना।
11.	श्री रेवती रमन झा, दरभंगा	प्रभारी प्राचार्य	रा०पो०, मधुबनी	प्रभारी प्राचार्य, रा०पो०, गोपालगंज।
12.	श्री विरेन्द्र झा, दरभंगा	प्रभारी प्राचार्य	रा०पो०, गोपालगंज	प्रभारी प्राचार्य, रा०पो०, मधुबनी।
13.	श्रीमती ललिता सिंह, पटना	व्याख्याता (अंग्रेजी)	रा०म०पो०, फुलवारीशरीफ, पटना	अपने कार्यों के अतिरिक्त उप परीक्षा नियंत्रक, रा०प्रा०शि०पर्षद, पटना।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

3. इसके पूर्व के सभी अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4. उपरोक्त क्रमांक- 1, 3, 5, 7 एवं 8 पर उल्लिखित शिक्षकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनसे प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में किया गया है। इसलिए इन्हें अनुमान्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के उप सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,

ज्ञापक- वि०प्रा०(1)स्था०-02/2018/ 1654 /पटना, दिनांक- 29.6.2018  
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई.टी., विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्यद, पटना/परियोजना निदेशक, बी.सी.एस.टी., पटना/सभी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, संस्थान/सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी विभागीय पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं सभी संबंधित पदाधिकारी/व्याख्याता एवं प्रभारी प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापक- वि०प्रा०(1)स्था०-02/2018/ 1654 /पटना, दिनांक- 29-6-2018  
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

29/06/18

सरकार के उप सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग